तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अभयसिंह चौहान बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी॰शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 69 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी अभयसिंह चौहान पता पहाड़गंज कॉलानी– द्वितीय, मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.01..20 में उसके द्वारा (1) एक ही परिवार की चार महिलाओं अन्तरकंवर पत्नी अभयसिंह वगैरा 3 व भंवरसिंह पुत्र स्व. तखतसिंह वगैरा ने तीन वर्षो से राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा देय कृषि आदान अनुदान सहायत राशि हलका पटवारी चाबा एवं तहसीलदार शेरगढ द्वारा जानबूझकर फायदा नहीं दिया जाता था, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	